E-MAIL

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

1250 तुलसी नगर भोपाल

(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)

(E-mail address: dpswbpl@nic.in)

क्रमांक/सामा;सहा;/02/2018/1265 भोपाल दिनांक 18-7-2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   म.प्र.
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत
   म.प्र.
3. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
   म.प्र.

विषय :- जिन ग्राम पंचायतों में बैंकिंग व्यवस्था नहीं है अथवा संतोषजनक नहीं है, उन ग्राम पंचायतों के पेंशन हितग्राहियों के खाते सी.बी.एस. पोस्ट आफिस में स्थांतरित करने बावत्।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग का पत्र क्रं. 465/26-2/2014 दिनांक 28 मई 2014

---0---

जैसा कि आप जानते ही है कि म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों, कल्याणी, परित्यक्ता एवं दिव्यांगजनों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि योजनाएं संचालित की जा रही है एवं सिंगल क्लिक के माध्यम से 38.00 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह की 01 तारीख को उनके बैंक खातों में किया जा रहा है।

2. राज्य स्तर से हितग्राही के खाते में पेंशन का भुगतान तो समय पर हो रहा है किंतु प्रदेश में बैंक शाखा की सीमित संख्या होने के कारण अधिकांश हितग्राहियों को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिये 5 कि.मी. से अधिक दूरी भी तय करनी होती है, जो कि उनकी आयु, नि:शक्तता को देखते हुये एक वास्तविक बाधा है।

3. डाक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि, वर्तमान में डाक विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस में कोर-बैंकिंग सिस्टम (सी.बी.एस.) लागू कर दिया गया है, जिसमें बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस के हितग्राहियों को भी इलेक्ट्रानिक पेमेंट किया जा सकता है। राज्य में वर्तमान में 43 प्रधान डाकघर, 974 उप डाकघर एवं 7150 शाखा डाकघर कोर-बैंकिंग सिस्टम (सी.बी.एस.) से लिंक है।

4. अत: आपके जिलें में ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जाये, जहां 5 कि.मी. की परिधि में बैंकिंग सुविधिाएं उपलब्ध नहीं है, किंतु पोस्ट ऑफिस की शाखा उपलब्ध है, उन ग्राम पंचायत के पेंशन हितग्राहियों के बचत खाते पोस्ट ऑफिस में खुलवाये जाये व खाते पेंशन पोर्टल पर अपडेट किये जाये, जिससे कि पेंशन हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान उनके खातें में हो सकेगा व उन्हें राशि का आहरण करने हेतु अधिक दूरी तय नहीं करना पड़ेगी।

5. ऐसे पेंशन हितग्राही जिनकी अधिक उम्र या शारीरिक विकृति होने से उनके Finger Print अथवा Face Recognition न हो पाने से आधार नहीं बन पा रहा है, या आधार बनने के पश्चात उक्त कारणों से Finger Print या Face Recognition मैच न होने से पेंशन भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन पेंशन हितग्राहियों के बचत खाते भी पोस्ट ऑफिस में खोले जायें, जिससे कि उनकी स्थानीय स्तर पर पहचान की जाकर पेंशन का भुगतान पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हो सके।

उपरोक्तानुसार स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत, पेंशन हितग्राहियों के बचत खातें 5 कि.मी. की परिधि में उपलब्ध बैंक शाखा अथवा पोस्ट ऑफिस शाखा में खुलवाने की कार्यवाही की जाये, जिससे कि हितग्राहियों को पेंशन राशि प्राप्त करने में असुविधा न हो।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

क्रमांक/सामा.सहा./02/2018/1266 भोपाल दिनांक 18-7-2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, संस्थागत वित्त की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
4. पोस्ट मास्टर जनरल प्रधान डाकघर कार्यालय मैदा मिल रोड़ भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया अनुरोध है कि अपने स्तर से आपके मैदानी अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

मध्यप्रदेश